

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

—: सूचना :-

प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अर्न्तगत व्यावसायिक सम्पत्तियों के टेण्डर/नीलामी की सूचना :-

व्यावसायिक सम्पत्तियों के टेण्डर/नीलामी हेतु सीलबन्द टेण्डर योजनावार आमंत्रित किये जाते हैं। टेण्डर सीलबन्द लिफाफे में योजना/सम्पत्ति संख्या/आवेदक/फर्म का नाम, अंकित करते हुये, टेण्डर फार्म के साथ आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (जो सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम पर देय तथा लखनऊ में पेय-बुल हो) संलग्न करते हुये दिनांक-04.07.2018 को प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक संयुक्त सचिव-डी, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर के कक्ष में रखे बॉक्स में डाले जा सकते हैं। सीधे नीलामी में भाग लेने के लिये टोकन दिनांक-05.07.2018 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, टेण्डर फार्म के साथ आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ संलग्न कर, टोकन नीलामी स्थल पर प्राप्त किये जा सकते हैं। नीलामी दिनांक-05.07.2018 मध्यान्ह 12:30 बजे विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय के भूतल स्थित कमेटी हॉल में की जायेगी। प्रत्येक सम्पत्तियों के सीलबन्द टेण्डर नीलामी की समाप्ति के पश्चात् खोले जायेंगे। टेण्डर धारक भी खुली नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।

गोमती नगर योजना

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	आरक्षण श्रेणी
1	सी.पी.-3ए	भूखण्ड	विकल्प खण्ड-1	1732.49	56,400.00	60	1.50	सामान्य
2	सी.पी.-182 (लोकल शाप)	भूखण्ड	विराज खण्ड	300.00	51,700.00	60	1.20	सामान्य
3	सी.पी.-215	भूखण्ड	विराज खण्ड	447.90	51,700.00	50	1.50	सामान्य
4	सी.पी.-216	भूखण्ड	विराज खण्ड	447.90	51,700.00	50	1.50	सामान्य
5	सी.पी.-226	भूखण्ड	विराज खण्ड	447.90	51,700.00	50	1.50	सामान्य
6	एस-25	भूखण्ड	वास्तु	13.50	90,437.00	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
7	एस-27	भूखण्ड	वास्तु	13.50	90,437.00		सामान्य	
8	पी-3	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		सामान्य	
9	पी-7	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		सामान्य	
10	पी-11	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		सामान्य	

11	पी-15	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		समान्य	
12	पी-23	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
13	पी-27	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
14	पी-32	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
15	पी-36	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		समान्य	
16	पी-45	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
17	पी-49	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		समान्य	
18	पी-51	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
19	पी-53	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
20	पी-62	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
21	पी-66	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
22	पी-101	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
23	पी-104	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
24	पी-107	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
25	एस-29	भूखण्ड	वास्तु	13.50	90,437.00		समान्य	
26	पी-106	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		समान्य	
27	एस-28	भूखण्ड	वास्तु	13.50	90,437.00		कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार	समान्य
28	पी-1	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00		समान्य	
29	पी-9	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
30	पी-34	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
31	पी-37	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
32	पी-46	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
33	पी-52	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
34	पी-67	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
35	पी-68	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
36	पी-72	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00		समान्य	
37	पी-95	भूखण्ड	वास्तु	5.76	99,481.00	समान्य		
38	पी-100	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00	समान्य		
39	पी-103	भूखण्ड	वास्तु	5.76	90,437.00	समान्य		

कानपुर रोड योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	नियोजन के अनुसार एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	नर्सिंग होम (30 बेड तक)	नर्सिंग होम भूखण्ड	एच	742.50	25,300.00	35	1.50	सामान्य
2	सी०पी०-3	भूखण्ड	ओ-विस्तार	4179.00	36,000.00	40	1.20	अ०पि०व०

ट्रांसपोर्ट नगर योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	सी.पी.-534	भूखण्ड	टी.पी. नगर	675.00	27,500.00	40	1.20	सामान्य
2	सी०पी०-528	भूखण्ड	टी.पी. नगर	675.00	33,000.00	40	1.20	सामान्य
3	सी०पी०-531	भूखण्ड	टी.पी. नगर	675.00	33,000.00	40	1.20	सामान्य
4	सी०पी०-533	भूखण्ड	टी.पी. नगर	675.00	31,000.00	40	1.20	सामान्य

शारदा नगर योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	एन०एच०-3	नर्सिंग होम,	रूचि खण्ड-2	812.50	22,550.00	40	1.20	सामान्य
2	सी०पी०-1	भूखण्ड	रतन	1954.35	41,800.00	30	2.0	अ०जा०
3	एन०एच.-2	नर्सिंग होम भूखण्ड	रतन	854.40	36,000.00	40	1.20	सामान्य

सीतापुर रोड योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	एफ-1	भूखण्ड (फैसिलिटीज)	एफ	647.41	53,900.00	40	1.50	सामान्य

जानकीपुरम योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	एस-4	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य
2	एस -7	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
3	एस -9	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
4	एस -13	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य
5	एस -14	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
6	एस -30	भूखण्ड	जे	21.31	93,031.00	60	1.20	सामान्य
7	एस -31	भूखण्ड	जे	21.79	93,031.00	60	1.20	सामान्य
8	एस -37	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य
9	एस -5	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य
10	एस -6	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
11	एस -8	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
12	एस -12	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य
13	एस -15	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
14	एस -26	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
15	एस -29	भूखण्ड	जे	20.46	93,031.00	60	1.20	सामान्य
16	एस -38	भूखण्ड	जे	20.40	93,031.00	60	1.20	सामान्य

जानकीपुरम विस्तार योजना

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	सी०पी०-1	भूखण्ड	4	530.00	36,850.00	60	1.50	अ०पि०व०
2	सी०पी०-1	भूखण्ड	6	642.19	36,850.00	60	1.50	अ०जा०
3	सी०एफ०-1	भूखण्ड फैसिलिटी	6	830.00	31,200.00	40	1.50	सामान्य

अलीगंज योजना के सेक्टर-जी में उपलब्ध भूखण्ड

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	नियोजन के अनुसार एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	47	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
2	59	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
3	60	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
4	63	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
5	64	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
6	83	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
7	91	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
8	93	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
9	94	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	सामान्य
10	17	भूखण्ड	जी	13.50	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
11	20	भूखण्ड	जी	13.50	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
12	32	भूखण्ड	जी	13.50	43,750.00	60	1.20	अ०पि०व०
13	33	भूखण्ड	जी	13.50	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
14	43	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
15	54	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०पि०व०
16	57	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
17	69	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
18	76	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०पि०व०
19	87	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
20	90	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०
21	98	भूखण्ड	जी	10.80	43,750.00	60	1.20	अ०जा०

सोनिया गॉधी नगर योजना, चौक में उपलब्ध भूखण्ड

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	भू-अच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए० आर०	श्रेणी
1	भूखण्ड संख्या-07	भूखण्ड	8.10	41,500/-	तलपट् मानचित्र के अनुसार		सामान्य.

गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-01 में निर्मित सरयू अपार्टमेन्ट में नवनिर्मित दुकानें

क्र० सं०	दुकान संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	श्रेणी
1	टी-1/एस-01	10.74	77,800/-	सामान्य
2	टी-1/एस-02	9.85	77,800/-	सामान्य
3	टी-2/एस-03	10.82	77,800/-	अ.पि.व.
4	टी-2/एस-04	9.80	77,800/-	सामान्य
5	टी-3/एस-05	10.78	77,800/-	अ.पि.व.
6	टी-3/एस-06	9.80	77,800/-	अनु. जाति

विभव खण्ड

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	यू.जी.एफ.-15	दुकान	विभव खण्ड	27.945	1,72,400.00	सामान्य
2	एफ.एफ.-हॉल-6	हॉल	विभव खण्ड/प्रथम तल	41.475	69,000.00	सामान्य
3	एफ.एफ.-हॉल-7	हॉल	विभव खण्ड/प्रथम तल	49.00	69,000.00	सामान्य

गोमती नगर फेज-2, विराट खण्ड-1 में निर्मित कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एफ.एफ.-19	दुकान	विराट खण्ड-1	06.21	99,100.00	अ.पि.व.

गोमती नगर फेज-1, विवेक खण्ड में (नीलकंठ के सामने) निर्मित कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एफ.एफ.-2	दुकान	विवेक खण्ड	14.44	1,02,600.00	अ.पि.व.

गोमती नगर विशाल खण्ड-3, निर्मित कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एफ.एफ.-6	दुकान	विशाल खण्ड	8.14	1,14,300.00	अनु.जा.

चौक स्थित बालागंज में उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	जी.एफ.-58	दुकान	12	75,600.00	सामान्य
2	एल.जी.एफ.-18	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
3	एल.जी.एफ.-21	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
4	एल.जी.एफ.-22	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
5	एल.जी.एफ.-23	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
6	एल.जी.एफ.-48	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
7	एल.जी.एफ.-50	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
8	एल.जी.एफ.-52	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
9	एल.जी.एफ.-53	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
10	एल.जी.एफ.-54	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
11	एल.जी.एफ.-55	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
12	एल.जी.एफ.-73	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
13	एल.जी.एफ.-75	दुकान	12	72,100.00	सामान्य
14	यू.जी.एफ.-53	दुकान	12	74,400.00	सामान्य
15	यू.जी.एफ.-54	दुकान	12	74,400.00	सामान्य

टिकैतराय योजना में स्थित उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	खण्ड	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एस-10/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2 (कुल-8)	दुकान	फेज-2	12.00	82,500.00	सामान्य

कानपुर रोड योजना के विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध रिक्त दुकानों का विवरण

क्र. सं.	दुकान संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/ तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एस-06	दुकान	जी	19.23	1,33,300.00	सामान्य
2	एस-07	दुकान	जी	19.23	1,33,300.00	सामान्य
3	एस-08	दुकान	जी	19.23	1,33,300.00	सामान्य
4	एस-09	दुकान	जी	14.35	1,33,300.00	सामान्य
5	एस-10	दुकान	जी	14.35	1,33,300.00	सामान्य

कानपुर रोड योजना, सेक्टर-एच में निर्मित अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	ब्लाक	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एल.जी.एफ.-11	दुकान	ए	20.52	1,14,400 /-	अनु० जाति
2	एल.जी.एफ.-28	दुकान	ए	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
3	एल.जी.एफ.-30	दुकान	ए	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
4	एल.जी.एफ.-48	दुकान	ए	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
5	यू.जी.एफ.-80	दुकान	ए	20.52	1,43,100 /-	सामान्य
6	यू.जी.एफ.-84	दुकान	ए	20.52	1,43,100 /-	सामान्य
7	यू.जी.एफ.-61	दुकान	बी	20.52	1,43,100 /-	सामान्य
8	यू.जी.एफ.-69	दुकान	बी	20.52	1,43,100 /-	सामान्य
9	एल.जी.एफ.-03	दुकान	बी	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
10	एल.जी.एफ.-13	दुकान	बी	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
11	एल.जी.एफ.-19	दुकान	बी	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
12	एल.जी.एफ.-32	दुकान	बी	20.52	1,14,400 /-	सामान्य
13	एल.जी.एफ.-35	दुकान	बी	20.52	1,14,400 /-	सामान्य

कानपुर रोड योजना सेक्टर-एच, अन्नपूर्णा काम्प्लेक्स स्थित हॉल की सूची

क्र० सं०	हॉल संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	श्रेणी
1	ए.एच-1	हॉल	182.10	96,200.00	सामान्य
2	ए.एच-2	हॉल	139.51	96,200.00	सामान्य
3	ए.एच-3	हॉल	102.96	96,200.00	अ.पि.व.
4	ए.एच-4	हॉल	102.96	96,200.00	सामान्य
5	ए.एच-5	हॉल	130.75	96,200.00	सामान्य
6	ए.एच-6	हॉल	130.75	96,200.00	सामान्य
7	ए.एच-7	हॉल	102.96	96,200.00	अनु.जाति
8	ए.एच-8	हॉल	102.96	96,200.00	सामान्य
9	ए.एच-9	हॉल	139.51	96,200.00	अनु.जाति
10	ए.एच-10	हॉल	182.10	96,200.00	सामान्य
11	बी.एच-1	हॉल	182.10	96,200.00	अ.पि.व.
12	बी.एच-2	हॉल	139.51	96,200.00	अनु.जाति

13	बी.एच-3	हॉल	102.96	96,200.00	अ.पि.व.
14	बी.एच-4	हॉल	102.96	96,200.00	सामान्य
15	बी.एच-5	हॉल	130.75	96,200.00	अ.पि.व.
16	बी.एच-6	हॉल	130.75	96,200.00	अनु.जाति
17	बी.एच-7	हॉल	102.96	96,200.00	अ.पि.व.
18	बी.एच-8	हॉल	102.96	96,200.00	सामान्य
19	बी.एच-9	हॉल	139.51	96,200.00	अनु.जनजाति
20	बी.एच-10	हॉल	182.10	96,200.00	सामान्य

कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी, गोल मार्केट स्थित हॉल का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	ब्लाक-1	हॉल	डी/प्रथम तल	299.20	1,15,500.00	सामान्य
2	ब्लाक-2	हॉल	डी/प्रथम तल	327.30	1,15,500.00	सामान्य
3	ब्लाक-3	हॉल	डी/प्रथम तल	160.00	1,15,500.00	सामान्य
4	ब्लाक-4	हॉल	डी/प्रथम तल	327.00	1,15,500.00	अनु.जाति
5	ब्लाक-5	हॉल	डी/प्रथम तल	266.50	1,15,500.00	सामान्य
6	ब्लाक-6	हॉल	डी/प्रथम तल	367.45	1,15,500.00	सामान्य
7	ब्लाक-1	हॉल	डी/द्वितीय तल	299.20	1,15,500.00	अ.पि.व.
8	ब्लाक-3	हॉल	डी/द्वितीय तल	160.00	1,15,500.00	अ.पि.व.
9	ब्लाक-4	हॉल	डी/द्वितीय तल	327.00	1,15,500.00	अ.पि.व.
10	ब्लाक-5	हॉल	डी/द्वितीय तल	266.50	1,15,500.00	सामान्य
11	ब्लाक-5	हॉल	डी/तृतीय तल	266.50	1,15,500.00	अनु. जाति

कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी में निर्मित ब्रह्मकुंज कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें/हॉल

क्र० सं०	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	श्रेणी
1	एल.जी.एफ.-01	दुकान	बी	17.58	1,28,200.00	सामान्य
2	एल.जी.एफ.-62	दुकान	बी	20.40	1,19,700.00	अ.पि.व.
3	एल.जी.एफ.-64	दुकान	बी	20.40	1,19,700.00	अनु.जाति
4	एल.जी.एफ.-72	दुकान	बी	12.09	1,28,200.00	अ.पि.व.
5	एल.जी.एच-1	दुकान	बी	70.20	1,24,800.00	सामान्य
6	एल.जी.एच-2	दुकान	बी	70.20	1,24,800.00	सामान्य

7	एल.जी.एच-3	दुकान	बी	70.20	1,24,800.00	अनु.जाति
8	एल.जी.एच-5	दुकान	बी	70.20	1,24,800.00	सामान्य
9	एल.जी.एच-6	दुकान	बी	70.20	1,24,800.00	अ.पि.व.
10	एल.जी.एच-4	दुकान	बी	67.65	1,24,800.00	सामान्य
11	एल.जी.एच-7	दुकान	बी	67.65	1,24,800.00	अ.पि.व.
12	एल.जी.एफ.-2	दुकान	बी	17.90	1,28,200.00	सामान्य
13	एल.जी.एफ.-15	दुकान	बी	17.90	1,28,200.00	अनुजाति
14	यू.जी.एफ.-2	दुकान	बी	17.90	1,31,800.00	अ.पि.व.
15	एल.जी.आर.-01	रूम	बी	9.87	1,22,800.00	अनुजाति
16	एल.जी.आर.-03	रूम	बी	9.87	1,22,800.00	सामान्य
17	एल.जी.आर.-6	रूम	बी	9.87	1,22,800.00	अ.पि.व.
18	एल.जी.आर.-4	रूम	बी	7.98	1,22,800.00	अ.पि.व.
19	एल.जी.आर.-7	रूम	बी	7.98	1,22,800.00	सामान्य
20	एल.जी.आर.-8	रूम	बी	4.25	1,22,800.00	सामान्य
21	एल.जी.आर.-9	रूम	बी	5.55	1,22,800.00	अनुजाति
22	एस.एस.-01	दुकान	बी	6.22	1,06,100.00	अ.पि.व.
23	एस.एस.-02	दुकान	बी	6.22	1,06,100.00	सामान्य
24	एस.एस.-03	दुकान	बी	6.22	1,06,100.00	अनुजाति
25	एच.-2	हॉल/प्रथम तल	बी	105.07	1,20,800.00	अ.पि.व.
26	एच.-3	हॉल/प्रथम तल	बी	105.54	1,20,800.00	सामान्य
27	एच.-4	हॉल/प्रथम तल	बी	105.54	1,20,800.00	अनु.जाति
28	एच.-5	हॉल/प्रथम तल	बी	105.07	1,20,800.00	अनु.जाति
29	एच.-8	हॉल/प्रथम तल	बी	61.17	1,20,800.00	अ.पि.व.
30	एच.-2 संख्या-15	हॉल/चौथा तल	बी	298.26	1,05,300.00	अ.पि.व.
31	एच.-2 संख्या-16	हॉल/चौथा तल	बी	292.29	1,05,300.00	सामान्य
32	एच.-2 संख्या-17	हॉल/चौथा तल	बी	122.40	1,05,300.00	अनु.जाति
33	एच.-2 संख्या-18	हॉल/चौथा तल	बी	298.26	1,05,300.00	सामान्य
34	एच-12	हॉल	बी	34.60	1,45,700.00	अ.पि.व.
35	एच-13	हॉल	बी	34.60	1,45,700.00	सामान्य
36	एच-14	हॉल	बी	34.60	1,45,700.00	अनु.जाति

प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-बी में नवनिर्मित दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एस.-1	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
2	एस.-2	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
3	एस.-3	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
4	एस.-4	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
5	एस.-5	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
6	एस.-6	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
7	एस.-7	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
8	एस.-8	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अनु. जाति
9	एस.-9	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
10	एस.-10	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
11	एस.-11	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
12	एस.-12	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
13	एस.-13	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
14	एस.-14	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
15	एस.-15	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
16	एस.-16	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
17	एस.-17	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
18	एस.-18	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अनु. जाति
19	एस.-19	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
20	एस.-20	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.
21	एस.-21	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
22	एस.-22	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
23	एस.-23	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अनु. जाति
24	एस.-24	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
25	एस.-25	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
26	एस.-26	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
27	एस.-27	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अनु. जाति
28	एस.-28	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
29	एस.-29	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
30	एस.-30	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	सामान्य
31	एस.-31	दुकान	बी	7.20	2,79,500 /-	अ.पि.व.

32	एस.-32	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
33	एस.-33	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
34	एस.-34	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
35	एस.-35	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
36	एस.-36	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
37	एस.-37	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
38	एस.-38	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
39	एस.-47	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
40	एस.-48	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
41	एस.-49	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
42	एस.-50	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
43	एस.-51	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
44	एस.-52	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
45	एस.-53	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
46	एस.-54	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
47	एस.-55	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
48	एस.-56	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
49	एस.-57	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
50	एस.-58	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
51	एस.-59	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अनु. जाति
52	एस.-60	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	सामान्य
53	एस.-61	दुकान	बी	7.20	2,79,500 / -	अ.पि.व.
54	एस.-39	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
55	एस.-40	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	अ.पि.व.
56	एस.-41	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	अ.पि.व.
57	एस.-42	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
58	एस.-43	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	अनु. जाति
59	एस.-44	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	अनु. जाति
60	एस.-45	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
61	एस.-46	दुकान	बी	3.24	2,79,500 / -	अ.पि.व.
62	के.-1	दुकान	बी	1.44	2,79,500 / -	सामान्य
63	के.-2	दुकान	बी	1.44	2,79,500 / -	अ.पि.व.
64	के.-3	दुकान	बी	1.44	2,79,500 / -	अनु. जाति
65	के.-4	दुकान	बी	1.44	2,79,500 / -	अ.पि.व.

66	के.-5	दुकान	बी	1.44	2,79,500/-	सामान्य
----	-------	-------	----	------	------------	---------

प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-1 पर)

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एस.-11	दुकान	सी	7.20	2,79,500/-	अनु. जाति
2	एस.-12	दुकान	सी	7.20	2,79,500/-	अ.पि.व.
3	एस.-13	दुकान	सी	7.20	2,79,500/-	सामान्य
4	एस.-14	दुकान	सी	7.20	2,79,500/-	सामान्य
5	एस.-15	दुकान	सी	7.20	2,79,500/-	अनु. जनजाति
6	एस.-1	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अनु. जनजाति
7	एस.-2	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	सामान्य
8	एस.-3	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	सामान्य
9	एस.-4	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	सामान्य
10	एस.-5	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	सामान्य
11	एस.-6	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अनु. जाति
12	एस.-7	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	सामान्य
13	एस.-8	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अ.पि.व.
14	एस.-9	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अ.पि.व.
15	एस.-10	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अनु. जाति
16	एस.-26	दुकान	सी	4.32	2,79,500/-	अ.पि.व.
17	एस.-17	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	सामान्य
18	एस.-18	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	अनु. जनजाति
19	एस.-19	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	अ.पि.व.
20	एस.-20	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	सामान्य
21	एस.-21	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	अनु. जाति
22	एस.-22	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	सामान्य

प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-2 पर)

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एस.-1	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	सामान्य
2	एस.-2	दुकान	सी	3.24	2,79,500/-	सामान्य

3	एस.-3	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
4	एस.-4	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
5	एस.-5	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
6	एस.-6	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
7	एस.-7	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
8	एस.-8	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
9	एस.-9	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
10	एस.-10	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
11	एस.-11	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
12	एस.-12	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अनु0जाति
13	एस.-13	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
14	एस.-14	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अनु0जाति
15	एस.-15	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
16	एस.-16	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
17	एस.-17	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
18	एस.-18	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अनु0जाति
19	एस.-19	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अनु0जाति
20	एस.-20	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अनु0जाति
21	एस.-21	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
22	एस.-22	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	अ0पि0व0
23	एस.-23	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
24	एस.-24	दुकान	सी	3.24	2,79,500 / -	सामान्य
25	के.-1	दुकान	सी	1.44	2,79,500 / -	सामान्य
26	के.-2	दुकान	सी	1.44	2,79,500 / -	सामान्य

अलीगंज योजना, सेक्टर-जी में निर्मित कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हॉल

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग0मी0	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0	श्रेणी
1	4	हॉल	जी	513.91	1,00,700 / -	अ.पि.व.
2	8	हॉल	जी	349.92	1,00,700 / -	सामान्य

जानकीपुरम विस्तार योजना में उपलब्ध दुकानें

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	01	दुकान	6	10.31	1,18,500 / -	अनु० जाति
2	02	दुकान	6	8.52	1,18,500 / -	सामान्य
3	03	दुकान	6	8.52	1,18,500 / -	सामान्य
4	04	दुकान	6	10.78	1,18,500 / -	सामान्य
5	05	दुकान	6	8.67	1,18,500 / -	अ.पि.व.
6	06	दुकान	6	6.85	1,18,500 / -	अनु० जाति
7	07	दुकान	6	6.85	1,18,500 / -	अ.पि.व.
8	08	दुकान	6	8.29	1,18,500 / -	सामान्य
9	09	दुकान	6	8.67	1,18,500 / -	सामान्य
10	10	दुकान	6	7.16	1,18,500 / -	अ.पि.व.
11	11	दुकान	6	7.16	1,18,500 / -	अनु० जाति
12	12	दुकान	6	9.06	1,18,500 / -	सामान्य
13	01	दुकान	7	8.43	1,12,500 / -	अ.पि.व.
14	02	दुकान	7	7.02	1,12,500 / -	सामान्य
15	03	दुकान	7	8.43	1,12,500 / -	अ.पि.व.
16	04	दुकान	7	8.60	1,12,500 / -	सामान्य
17	05	दुकान	7	8.15	1,12,500 / -	अ.पि.व.
18	06	दुकान	7	8.72	1,12,500 / -	अनु० जाति
19	07	दुकान	7	8.60	1,12,500 / -	अ.पि.व.
20	08	दुकान	7	8.60	1,12,500 / -	सामान्य
21	09	दुकान	7	11.37	1,12,500 / -	सामान्य
22	10	दुकान	7	11.50	1,12,500 / -	अनु० जाति
23	11	दुकान	7	8.44	1,12,500 / -	अ.पि.व.
24	12	दुकान	7	8.53	1,12,500 / -	अनु० जाति
25	13	दुकान	7	11.01	1,12,500 / -	सामान्य
26	14	दुकान	7	11.14	1,12,500 / -	सामान्य
27	15	दुकान	7	7.56	1,12,500 / -	सामान्य
28	16	दुकान	7	6.29	1,12,500 / -	अनु० जाति
29	17	दुकान	7	7.56	1,12,500 / -	सामान्य

विकासदीप (छितवापुर) स्थित दुकानों का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	श्रेणी
1	एम-टाइप-45	दुकान	प्रथम लेविल	15.00	79,800.00	सामान्य
2	एस-टाइप-35	दुकान	तृतीय लेविल	10.00	72,700.00	सामान्य
3	एस-टाइप-37	दुकान	तृतीय लेविल	10.00	72,700.00	सामान्य
4	एस-टाइप-38	दुकान	तृतीय लेविल	10.00	72,700.00	सामान्य

जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-2 में स्थित चबूतरे

क्र० सं०	चबूतरा संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	श्रेणी
1	1	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
2	2	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
3	3	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
4	4	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
5	5	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
6	6	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
7	7	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
8	8	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
9	9	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
10	10	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
11	11	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
12	12	चबूतरा	6.38	1,10,900 / -	सामान्य
13	13	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
14	14	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
15	15	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
16	16	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
17	17	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
18	18	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
19	19	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
20	20	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
21	21	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य

22	22	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
23	23	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
24	24	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
25	25	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
26	26	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
27	27	चबूतरा	8.208	1,10,900 / -	सामान्य
28	28	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
29	29	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
30	30	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
31	31	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
32	32	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
33	33	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
34	34	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
35	35	चबूतरा	6.48	1,10,900 / -	सामान्य
36	36	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
37	37	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
38	38	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
39	39	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
40	40	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
41	41	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
42	42	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
43	43	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
44	44	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
45	45	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
46	46	चबूतरा	8.79	1,10,900 / -	सामान्य
47	47	चबूतरा	7.59	1,10,900 / -	सामान्य
48	48	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
49	49	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
50	50	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
51	51	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
52	52	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
53	53	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
54	54	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
55	55	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य

56	56	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
57	57	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
58	58	चबूतरा	6.36	1,10,900 / -	सामान्य
59	59	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
60	60	चबूतरा	4.93	1,10,900 / -	सामान्य
61	61	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
62	62	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
63	63	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
64	64	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
65	65	चबूतरा	6.82	1,10,900 / -	सामान्य
66	66	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
67	67	चबूतरा	5.64	1,10,900 / -	सामान्य
68	68	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
69	69	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
70	70	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
71	71	चबूतरा	8.10	1,10,900 / -	सामान्य
72	72	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
73	73	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
74	74	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
75	75	चबूतरा	5.76	1,10,900 / -	सामान्य
76	76	चबूतरा	5.90	1,10,900 / -	सामान्य

अन्य विवरण: -

1. सम्पत्ति 'जहां है-जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी।
2. नीलामी से सम्बन्धित जानकारी ल0वि0प्रा0, लखनऊ की वेबसाइट www.ldaonline.in पर देखी जा सकती है।
3. किसी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
4. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक-17.12.99 के अनुसार आरक्षण श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा तथा नीलामी के समय मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो एवं बोलीदाता को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माण सम्बन्धी नियम लखनऊ महायोजना 2031 एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुसार रहेंगे।
6. किसी टेण्डर/नीलामी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष, का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
7. भूखण्डों में ऊर्चाई का निर्धारण एयरपोर्ट से अनापत्ति के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

8. टेण्डर/नीलामी के विस्तृत नियम/शर्तें, जनसंपर्क अधिकारी/संयुक्त सचिव, ल0 वि0 प्रा0, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगणर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं एवं रू0-525/- (कर सहित) भुगतान करके टेण्डर फार्म शर्तों सहित दिनांक-20.06.2018 से दिनांक-04.07.2018 तक गोमती नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय परिसर में यूको बैंक से क्रय किये जा सकते हैं।
9. शासनादेश संख्या-786/आठ-1-08-32विविध/07 दिनांक-30.01.2008 में प्रदत्त प्राविधान के अनुसार विकलांगजनों को नियमानुसार विक्रय मूल्य में रियायत अनुमन्य होगी।

(डी0एम0 कटियार)
संयुक्त सचिव

(एम0पी0 सिंह)
सचिव

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

निविदा फार्म संख्या—

नीलामी तिथि—

व्यवसायिक भूखण्डों हेतु टेण्डर फार्म



लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु निविदा प्रपत्र एवं नीलामी की शर्तें
(कृपया फार्म भरते समय कटिंग/ओवरराइटिंग न करें।)

निविदा विक्रय मूल्य: — ₹0-525 / — (कर सहित)

प्रमाणित फोटो

निर्गतकर्ता अधिकारी: — ल0वि0प्रा0

निविदा डालने की तिथि:

1. निविदादाता/फर्म/टेण्डरदाता का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. उम्र

4. स्थायी पता: —

5. पत्र व्यवहार का पता: —

6. योजना का नाम: — भू-उपयोग.....

7. भूखण्ड की संख्या: —

(जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है।)

8. प्रस्तावित दर (अंको में) (प्रति वर्ग मीटर)

(शब्दों में)

9. बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर की संख्या: — दिनांक: —

10. निर्गत करने वाले बैंक का नाम: — शाखा: —

11. धनराशि (शब्दों व अंकों में): —

दिनांक

हस्ताक्षर:—

पूरा नाम: —

फोन नं0: —

मो0 नं0: —

संलग्न : नियम व शर्तों की प्रति।



लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु निविदा प्रपत्र एवं नीलामी की शर्तें
(कृपया फार्म भरते समय कटिंग/ओवरराइटिंग न करें।)

निविदा विक्रय मूल्य: — रू0—525 /— (कर सहित)

निर्गतकर्ता अधिकारी: — ल0वि0प्रा0

प्रमाणित फोटो

निविदा डालने की तिथि:

1. निविदादाता/फर्म/टेण्डरदाता का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. उम्र
4. स्थायी पता: —
5. पत्र व्यवहार का पता: —
6. योजना का नाम: —
7. दुकान की संख्या: —
8. प्रस्तावित दर (अंको में) (प्रति वर्ग मीटर)
(शब्दों में)
9. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न है)
10. हैसियत प्रमाण पत्र विगत छः माह का तथा विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
11. बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर की संख्या: — दिनांक: —.....
12. निर्गत करने वाले बैंक का नाम: — शाखा: —.....
13. धनराशि (शब्दों व अंकों में): —
दिनांक

हस्ताक्षर:—
पूरा नाम: —
फोन नं0: —
मो0 नं0: —

संलग्न : नियम व शर्तों की प्रति।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण, टेण्डर उपरान्त नीलामी द्वारा किया जायेगा। निर्धारित तिथि को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये अलग-अलग टेण्डर डाले जाएंगे। इसके उपरान्त निर्धारित तिथि को उपस्थित टेण्डर दाताओं/टोकन धारकों के मध्य खुली नीलामी की जायेगी। नीलामी में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद टेण्डर खोले जायेंगे तथा शील्ड बन्द टेण्डर में प्राप्त दरों व सर्वोच्च बोली में से उच्चतम बोली अथवा उच्चतम निविदा दर पर विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली को अस्वीकृत कर दें एवं जमानत धनराशि वापस कर दें तथा नीलामी हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित करें। जिन लोगों ने टेण्डर डाले हैं वह पुनः टेण्डर डाल सकते हैं।
2. नीलामी अथवा टेण्डर में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक जो टेण्डर करने योग्य हो भाग ले सकता है।
3. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक-17.12.99 के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा तथा नीलामी के समय मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो संलग्न करना होगा एवं बोलीदाता से विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म संस्था/कम्पनी को टेण्डर के साथ अपना मेमोरेन्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी तथा अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भी देना होगा। साझीदार फर्म, रजिस्ट्रार आफ फर्म के यहाँ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. जो इच्छुक क्रेता नीलामी द्वारा सम्पत्ति को लेना चाहते हैं। इन्हें टेण्डर प्रपत्र के साथ वांछित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पेआर्डर जो लखनऊ में पे-एबुल हो, जो सचिव ल0 वि0 प्रा0 के नाम देय हो मूल रूप से संलग्न कर नामित अधिकारी के कार्यालय में रखें टेण्डर बक्स में नियत समयावधि में डालना होगा तथा ओपेन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्त के अनुरूप धनराशि सचिव ल0 वि0 प्रा0 के पक्ष में देय हो ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो लखनऊ में पे-एबुल हो, जमा करके टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चेक/बैंक गारन्टी किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। नीलामी में भाग लेने का अधिकार केवल टेण्डर दाता/टोकनदाता का होगा।
6. नीलामी में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर बोली बोल सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि किसी सम्पत्ति की सर्वोच्च बोली देने में असफल टेण्डर/टोकन धारक समतुल्य श्रेणी के सम्पत्तियों पर नीलामी में भाग ले सकते हैं। अथवा प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक जमानत धनराशि बैंक

ड्राफ्ट/पे-आर्डर के रूप में जमा कर निर्धारित समय पर टेण्डर डाल सकता है अथवा टोकन प्राप्त कर सकता है। आवेदक द्वारा कई व्यावसायिक सम्पत्तियां कय की जा सकती हैं।

7. टेण्डर फार्म में सभी विवरण सही-सही भरे जायें अपूर्ण एवं सशर्त टेण्डर पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। टेण्डर फार्म में अंकित की गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी।

यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय विलेख भी निरस्त कर दिया जायेगा तथा विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8. टेण्डर प्रपत्र में निम्नलिखित विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

अ- टेण्डर दाता का नाम व पूरा पता-

ब- पिता/पति का नाम

स- लिफाफे के ऊपर सम्पत्ति हेतु टेण्डर तथा नीलामी की तिथि बिना कटिंग के अंकित की जायें।

द- भूखण्ड की संख्या एवं क्षेत्रफल तथा सेक्टर/खण्ड का नाम

य- भूखण्ड के मूल्य के रूप में आफर की जा रही दर का अंकन प्रति वर्गमीटर की दर से अंको व शब्दों में किया जायेगा, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए।

र- टेण्डर फार्म के साथ अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर संलग्न करना होगा।

ल- सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।

व- शासनादेश संख्या-138सी एम/9-आ-5-94-18विस/88 दिनांक-23 नवम्बर-1994 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित भवन/भूखण्ड में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कम होती है, तो ऐसी आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों को सामान्य वर्ग में पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य आवंटित कर दिया जायेगा।

बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि नीलामी से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी आदि की शुद्धता के विषय में आश्वस्त हो ले यदि सम्पत्ति किसी बोलीदाता के पक्ष में निर्धारित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित विशेषताएं जैसे, स्वत्व इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं।

9. यदि बोलीदाता नीलामी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या नीलामी की अन्य शर्तों/प्रतिबन्ध का पालन नहीं करता है तो उसका टोकन/टेण्डर निरस्त करके नीलामी बोली से वंचित करने का अधिकार नीलामी समिति का होगा।
10. सम्पत्ति के लिए न्यूनतम बोली रू0 100 प्रति वर्ग मीटर के अन्तर पर ही स्वीकार की जायेगी। सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त टेण्डरों में एक ही टेण्डर प्राप्त होने एवं उसके विरुद्ध बोली न आने पर नीलामी समिति उसके सम्बन्ध में निर्णय लेगी कि इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करे।

11. नीलामी की कार्यवाही ल0 वि0 प्रा0 गोमती नगर कार्यालय में सार्वजनिक रूप से समिति के समक्ष करायी जायेगी। नीलामी के पूर्व नीलामी के नियम व शर्तें एक बार पुनः सूचित कर दी जायेगी। भुगतान का विवरण निम्न होगा—

अ-1— रुपया 50 लाख तक की व्यवसायिक सम्पत्तियों में वर्तमान उच्चतम टेण्डरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी की स्वीकृत की तिथि/पत्र निर्गत की तिथि से 15 कार्यदिवसों में जमा करनी होगी, (उसमें निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि समायोजित कर ली जायेगी)। जमा धनराशि की रसीद की छायाप्रति समयावधि में उपलब्ध करानी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने एवं आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 08 त्रैमासिक किशतों में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर जमा करनी होगी।

2— रू0-50.00 लाख से ऊपर रू0-2.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम टेण्डरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी की स्वीकृति की तिथि/पत्र निर्गत की तिथि से 15 कार्य दिवसों में जमा करनी होगी (उसमें निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि समायोजित कर ली जायेगी) जमा धनराशि की रसीद की छाया प्रति समयावधि में उपलब्ध करानी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने एवं आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि 10 त्रैमासिक किशतों में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा करनी होगी। 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने पर शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

3— रू0-2.00 करोड़ से अधिक व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम टेण्डरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी की स्वीकृति की तिथि/पत्र निर्गत की तिथि से 15 कार्य दिवसों में जमा करनी होगी (उसमें निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि समायोजित कर ली जायेगी) जमा धनराशि की रसीद की छाया प्रति समयावधि में उपलब्ध करानी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने पर आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि 20 त्रैमासिक किशतों में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने पर शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

अनुबंध में प्रतिबंध

1. आवंटी/संस्था प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेगे।
2. व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नहीं हो जाती है, प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
3. आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार न किये जाने पर अथवा अनुबंध के प्राविधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।

4. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
5. प्राधिकरण द्वारा नीलामी की नियम व शर्तों का पालन आवंटी/संस्था को करना होगा। समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।

ब- किशतों का प्रारम्भ, आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से माना जायेगा।

स- देय किशतों का भुगतान समय से न करने पर 16 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

12. नीलामी में प्राप्त उच्चतम टेण्डर अथवा बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नहीं माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब सक्षम स्तर अर्थात् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत उपरान्त आवंटन पत्र जारी हो जायेगा। आवंटन के पश्चात् समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुये औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, यदि कोई टेण्डर दाता बोली स्वीकार होने के पश्चात् वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप उसका आवंटन निरस्त किया जाता है तो नियमों के अर्न्तगत टोकन मनी/अर्नेस्ट मनी काटते/जब्त करते हुये शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
13. नीलामी स्वीकृति उपरान्त अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित सहित) समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत टोकन मनी/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन उपरान्त यदि आवंटी किन्हीं कारणों से धनराशि वापसी की मांग करता है, तो अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त करते हुये शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
14. आवंटी को उक्त सम्पत्तियों के अनुबंध/निबन्धन के पूर्व 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क व अन्य देय तथा स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वयं वहन करना होगा। सम्पत्ति की नीलामी ले-आउट के अनुसार अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर की जा रही है। सम्पत्तियों का क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़े हुये क्षेत्रफल की धनराशि आवंटी को नीलामी की सर्वोच्च बोली की दर या बढ़े क्षेत्रफल के आवंटन की स्वीकृति के समय लागू विकास प्राधिकरण की आरक्षित दर में से जो दर अधिक होगी, उसी के अनुसार बढ़े क्षेत्रफल की धनराशि देय होगी। वास्तविक लीज-प्लान प्राप्त होने पर क्षेत्रफल कम पाये जाने पर नीलामी दर पर घटे हुये क्षेत्रफल की धनराशि अन्य व्ययों में समायोजित की जा सकेगी तथा उसके बाद भी अधिक जमा धनराशि पाये जाने पर वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। क्रेता को नगर निगम, राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिभार आदि स्वयं वहन करने होंगे। इसी प्रकार किसी भी विभाग से प्राप्त की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा क्रेता को स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करनी होगी।
15. सम्पत्ति का कुल मूल्य जमा करने एवं शासनादेश के अनुसार स्टाम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार अनुबंध/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। नीलामी की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विचार उत्पन्न होने पर आर्बीट्रेशन एक्ट के प्राविधान लागू होंगे तथा उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई धनराशि किसी पक्ष में अवार्ड करता है तो उस पर किसी

भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अवार्ड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वयं वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ में सम्पादित होगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय को ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा। उपाध्यक्ष स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर नामित करना होगा। यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नहीं करता है तो आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति ल० वि० प्रा० का अधिकारी है तो आवंटी को उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा, चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो।

16. नीलामी प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व नीलामी की शर्तों को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य उपलब्ध प्राविधानित करने का अधिकार उपाध्यक्ष ल० वि० प्रा० में निहित होगा, जिसकी सूचना नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी से पूर्व दे दी जायेगी।
17. अधिकृत रूप से प्राप्त किये गये टेण्डर पर ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
18. नीलामी हाल में मोबाईल फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा, बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को बोली बोलने हेतु अथॉरिटी लेटर पब्लिक नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। कम्पनी की ओर से टेण्डर डालने तथा बोली बोलने हेतु अधिकृत व्यक्ति को भी अपना अधिकार पत्र पब्लिक नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
19. एक टोकन धारक/बोलीदाता के साथ केवल एक अन्य व्यक्ति का प्रवेश अनुमन्य होगा, एक ही व्यक्ति द्वारा कई टोकन लेने पर भी उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति का प्रवेश अनुमन्य होगा।
20. भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में लागू समस्त नियमों/उपविधियों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। भूखण्डों पर अनुमन्य भवन की ऊँचाई एअरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुसार होगी।
21. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उप-नियमों का पालन करना होगा।
22. आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा नीलामी की धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।
23. भुगतान की अन्तिम तिथि को स्थानीय/राजकीय अवकाश/बैंक बन्दी होने पर अगले कार्यदिवस को देय तिथि माना जायेगा।
24. उपाध्यक्ष, ल० वि० प्रा० का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

दुकानों की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1. निस्तारण प्रक्रिया: –

दुकानों का निस्तारण, टेण्डर एवम् नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। निर्धारित तिथि को प्रत्येक दुकान के लिये अलग-अलग टेण्डर डाले जायेंगे। इसके उपरान्त निर्धारित तिथि को उपस्थित टेण्डर दाताओं व टोकन धारकों के मध्य खुली नीलामी की जायेगी। नीलामी में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद टेण्डर खोले जायेंगे तथा सील्ड टेण्डर्स में प्राप्त दरों व सर्वोच्च बोली में से उच्चतम् बोली अथवा उच्चतम् निविदा दर पर विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली को बिना किसी कारण के अस्वीकृत कर सकते हैं और जमानत धनराशि वापस कर नीलामी हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित कर सकते हैं।

1.1.1. सम्पत्ति का निरीक्षण इच्छुक क्रेताओं द्वारा नीलामी तिथि से पूर्व कर लिया जाना चाहिये। सम्पत्ति से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थित विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ में किया जा सकता है।

1.1.2. सम्पत्ति “जहाँ है जैसी है” के आधार पर आवंटित की जायेगी। बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि नीलामी से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी आदि की शुद्धता के विषय में आश्वस्त हो ले यदि सम्पत्ति किसी बोलीदाता के पक्ष में निर्धारित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित विशेषताएं जैसे, स्वत्व इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं।

1.1.3. दुकानों के निबन्धन के एक वर्ष के उपरान्त आवंटियों को समिति बनाकर स्वयं अनुरक्षण हेतु निर्णय लेना अनिवार्य होगा। काम्प्लैक्स की पार्किंग, बाहरी दीवारों एवं कैम्पस में विज्ञापन का अधिकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित रहेगा।

1.2. नीलामी की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर कार्यालय में सार्वजनिक रूप से समिति के समक्ष करायी जायेगी। नीलामी के पूर्व नीलामी के नियम व शर्तें एक बार पुनः सूचित की जायेगी। उच्चतम बोली तथा सर्वाधिक टेण्डर की धनराशि एक ही आती है तो उस दशा में उच्चतम बोली को सर्वाधिक टेण्डर के ऊपर अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि उच्चतम बोली से अधिक दो या दो से अधिक टेण्डर प्राप्त होते हैं जिनके अधिकतम मूल्य एक ही हैं तो ऐसी दशा में उक्त प्रकार के टेण्डरदाताओं के बीच लॉटरी डाली जायेगी।

1.3. नीलामी में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर बोली बोल सकता है, किसी दुकान की सर्वोच्च बोली देने में असफल टोकन धारक समतुल्य श्रेणी के अवशेष दूसरी दुकान की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

1.4. दुकान के लिए न्यूनतम बोली रू0 100 प्रति वर्ग मीटर के अन्तर पर ही स्वीकार की जायेगी। दुकान के विरुद्ध प्राप्त टेण्डरों में एक ही टेण्डर प्राप्त

होने एवं उसके विरुद्ध बोली न आने पर नीलामी समिति उसके सम्बन्ध में निर्णय लेगी कि इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करे।

- 1.5. सर्वोच्च बोलीदाता की टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा रखते हुए अन्य बोलीदाताओं के बैंक ड्राफ्ट नीलामी के बाद अगले कार्यदिवस में वापस कर दिये जायेंगे।
- 1.6. नीलामी प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसी प्रकार नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व नीलामी की शर्तों को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य उपलब्ध प्राविधान को लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसकी सूचना नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी से पूर्व दे दी जायेगी।

2. पात्रता एवं शर्तें : -

- 2.1. बोली दाता को सुसंगत अभिलेखों के साथ इस आशय का स्वयं का (फोटोयुक्त) शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।
- 2.2. नीलामी अथवा टेण्डर में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अन्तर्गत संविदा करने तथा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन सम्पत्ति अंतरण योग्य हो, भाग ले सकता है।
- 2.3. यदि बोली में भाग लेने वाले दो पक्षों के बीच कोई दुरभिसन्धि संज्ञान में आती है तो इस आधार पर भी बोली अस्वीकृत की जा सकेगी। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- 2.4. अधिकृत रूप से प्राप्त किये गये टेण्डर पर ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 2.5. आरक्षित वर्गों के लिये आरक्षित सम्पत्ति की बोली हेतु आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र, परिचय सम्बन्धी अभिलेख, हैसियत प्रमाण पत्र तथा विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- 2.6. शासनादेश संख्या-138सी एम/9-आ-5-94-18विस/88 दिनांक-23 नवम्बर-1994 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित भवन/भूखण्ड में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कम होती है, तो ऐसी आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों को सामान्य वर्ग में पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य आवंटित कर दिया जायेगा।

3. नीलामी पूर्व प्रक्रिया: -

- 3.1. जो इच्छुक क्रेता/फर्म नीलामी द्वारा दुकान को लेना चाहते हैं उन्हें टेण्डर प्रपत्र के साथ वांछित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो लखनऊ में पे-बुल हो एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो, मूल रूप से संलग्न कर नामित अधिकारी के कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में नियत समयवधि में डालना होगा तथा खुली नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फार्मों को भी उसी अनुरूप धनराशि की 10 प्रतिशत अर्नेस्टमनी, जो सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो लखनऊ में पे-बुल हो, जमा कर के टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चेक/बैंक गारन्टी किसी भी दशा में

मान्य नहीं होगी। नीलामी में भाग लेने का अधिकार केवल टेण्डरदाता/टोकन धारी को होगा।

उदाहरण:	आरक्षित दर	—	रु0 10 प्रति वर्ग मीटर
	क्षेत्रफल	—	20 वर्ग मीटर
	आरक्षित मूल्य	—	10X20 = रु0-200/-
	अर्नेस्ट मनी (बैंक ड्राफ्ट)	—	200x(10%) = रु0-20/-

3.2. यदि टेण्डर फार्म इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है तो टेण्डर फार्म के साथ, फार्म मूल्य रु0-525/- (रूपये पांच सौ पच्चीस) का अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

3.3. टेण्डर फार्म में सभी विवरण सही-सही भरे जायें, अपूर्ण एवं सशर्त टेण्डर पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। टेण्डर फार्म में अंकित की गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी।

यदि स्वीकृत बोली दाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय पत्र के पश्चात उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय पत्र भी निरस्त कर दिया जायेगा तथा विक्रय मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

3.4. टेण्डर प्रपत्र में निम्नलिखित विवरणों को दिया जाना अनिवार्य होगा: —

3.4.1. टेण्डर दाता का नाम व पूरा पता

3.4.2. पिता का नाम

3.4.3. लिफाफे के ऊपर दुकान हेतु टेण्डर तथा नीलामी की तिथि बिना कटिंग/ओवर राइटिंग के अंकित की जाये।

3.4.4. दुकान की संख्या, विज्ञापित क्षेत्रफल तथा टेण्डर फार्म में प्रस्तावित दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

3.4.5. दुकान के मूल्य के रूप में आफर की जा रही दर का अंकन प्रतिवर्ग मीटर की दर से अंकों व शब्दों में किया जायेगा, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए।

3.4.6. टेण्डर फार्म के साथ अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर संलग्न करना होगा। उक्त के बिना प्रस्तुत टेण्डर विचार योग्य नहीं होंगे।

3.4.7. शर्त संख्या 2.1 में अंकित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.4.8. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा आरक्षण के साक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. अपेक्षाएँ: —

4.1. यदि बोलीदाता नीलामी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या नीलामी की अन्य शर्तों/प्रतिबन्ध का पालन नहीं करता है तो उसका टोकन/टेण्डर निरस्त करके नीलामी बोली से वंचित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

4.2. नीलामी हाल में बोलीदाताओं द्वारा मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा, बोली दाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को बोली बोलने हेतु अथार्टी लेटर

पब्लिक नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा। कम्पनी की ओर से टेण्डर डालने तथा बोली बोलने हेतु अधिकृत व्यक्ति को भी अपना अधिकार पत्र पब्लिक नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

4.3. एक टोकन धारक/बोली दाता के साथ केवल एक अन्य व्यक्ति का ही प्रवेश अनुमन्य होगा, एक ही व्यक्ति द्वारा कई टोकन लेने पर भी उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति का प्रवेश अनुमन्य होगा।

5. नीलामी स्वीकृति:

5.1 विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः किसी भी सम्पत्ति के लिये प्राप्त एकल बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में एकल बोली प्राप्त होती है तो उक्त बोली पर तभी विचार किया जायेगा जब विगत दो वर्षों की अवधि में सम्पत्ति को नीलामी में शामिल करते हुये कम से कम तीन बार नीलामी प्रक्रिया की जा चुकी हो।

5.2 नीलामी में प्राप्त उच्चतम टेण्डर अथवा बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नहीं माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटन पत्र जारी हो जायेगा। आवंटन के पश्चात समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुए औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, यदि कोई टेण्डरदाता बोली स्वीकार होने के पश्चात वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करता है अथवा आवंटन बनाये रखने के बजाए धनराशि वापसी की मांग करता है और दुकान के आवंटन को निरस्त किया जाता है तो 10 प्रतिशत टोकन मनी/अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए शेष धनराशि जमा वापस कर दी जायेगी।

6. आवंटन एवं निबन्धन:

6.1 भुगतान का विवरण निम्न होगा: -

6.1.1. उच्चतम टेण्डर दाता को कुल धनराशि की 15 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी की

स्वीकृति के पश्चात् 1 माह अन्दर जमा करनी होगी। आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि की 8 त्रैमासिक किस्तों में 13 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा करना होगा।

6.1.2. देय किस्तों का भुगतान न करने पर 16 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

6.1.3. सम्पूर्ण धनराशि जमा होने/निबन्धन उपरान्त, 6 माह के अन्दर दुकान खोलना अनिवार्य होगा।

6.2. आवंटी को उक्त दुकान की रजिस्ट्री के पूर्व लीज होल्ड शुल्क व अन्य देय तथा स्टैम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वयं वहन करना होगा। वास्तविक लीज-प्लान प्राप्त होने पर दुकान का क्षेत्रफल बढ़ने पर, बढ़े हुए क्षेत्रफल की धनराशि आवंटी को आवंटित दुकान की नीलामी में सर्वोच्च बोली की दर या बढ़े क्षेत्रफल की स्वीकृति के समय लागू विकास प्राधिकरण की आरक्षित दर में से जो दर अधिक होगी उसी के अनुसार बढ़े क्षेत्रफल की धनराशि देय होगी।

6.3. दुकान का कुल मूल्य जमा करने एवं दुकान के सम्पूर्ण मूल्य पर स्टैम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार रजिस्ट्रेशन/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही दुकान का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। नीलाम की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर आर्बीट्रेशन एक्ट के प्राविधान लागू होंगे तथा उपाध्यक्ष लखनऊ

विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई धनराशि किसी पक्ष में अर्वाड करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अर्वाड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वयं वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ में सम्पादित होगी। उपाध्यक्ष को स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर आर्बीट्रेटर नामित करना होगा यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नहीं करता है तो उपरोक्त प्राविधान निष्प्रभावी हो जायेंगे तथा आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण का अधिकारी है तो आवंटी को इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय में ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा।

- 6.4. सफल बोलीदाताओं द्वारा समस्त सांविधिक करों का भार स्वयं वहन किया जायेगा।
- 6.5. दुकान के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में लागू समस्त नियमों/उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 6.6. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उपनियमों का पालन करना होगा। आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा नीलामी की धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।
- 6.7. उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 6.8. भुगतान की अन्तिम तिथि को स्थानीय/राजकीय अवकाश/बैंक बन्दी होने पर अगली कार्यदिवस को देय तिथि माना जायेगा